



2026:AHC:67214

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 2191 वर्ष 2026

अभिषेक श्रीवास्तव पुनरीक्षणकर्ता (ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: अजय त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 86

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चंद्र शर्मा

संशोधनवादियों के साथ-साथ अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण संशोधनवादियों द्वारा धारा 323, 504, 506 भ०द०वि०, थाना-मुट्ठीगंज, जिला प्रयागराज के तहत केस अपराध संख्या-32 वर्ष 2023 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या-77 वर्ष 2024 (राज्य बनाम पवन आनंद और अन्य) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-10, प्रयागराज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में, प्राथमिकी को अपराध संख्या-32 वर्ष 2023 के रूप में दर्ज किया गया था, धारा 323, 504, 506 भ०द०वि०, थाना-मुट्ठीगंज, जिला प्रयागराज के तहत मोबाइल संख्या-9873207023 से मोबाइल संख्या-9335709291 पर फोन कॉल करने के झूठे आरोप के साथ जो सूचनाकर्ता से संबंधित था। आगे प्रस्तुत किया कि वह मोबाइल संख्या-9873207023 का मालिक है, लेकिन केवल मोबाइल संख्या के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उस मोबाइल फोन से सूचनाकर्ता के मोबाइल फोन पर बातचीत की गई थी। जांच के दौरान, विवेचनाधिकारी ने सीडीआर एकत्र नहीं किया, लेकिन धारा 323

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भ०द०वि०, 504, 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया। कहा जाता है कि कॉलिंग गुड़गांव गुड़गांव से की गई थी, जहां से मार पीट का आरोप संभव नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विवेचनाधिकारी ने धारा 323 भ०द०वि० के तहत भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर निर्वहन के आवेदन पर विचार नहीं किया है, हालांकि धारा 323 भ०द०वि० के तहत पुनरीक्षण वादी को रिहा करने का आदेश पारित किया है, लेकिन धारा 504, 506 भ०द०वि० की सीमा तक आवेदन को खारिज कर दिया है। सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर धारा 504, 506 भ०द०वि० के तहत कोई मामला नहीं कहा जा सकता है, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2026 के पारित आदेश को रद्द करने और पुनरीक्षण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि इस मामले में, पुनरीक्षणकर्ता ने सूचनाकर्ता को फोन किया जिस पर उसने उसे गाली देकर अपमानित किया और उसे मारने की धमकी भी दी। सूचना देने वाले द्वारा तुरंत 112 डायल करने के लिए दी गई और फिर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। केवल सीडीआर की अनुपलब्धता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि गवाहों के बयान पूरी तरह से झूठे हैं। आरोप तय करने के चरण में, धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह मुकदमे के दौरान संभव है। कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार गंभीर संदेह पर भी आरोप तय किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश को उचित तरीके से पारित किया है और धारा 323 भ०द०वि० के तहत पुनरीक्षणकर्ता को बरी कर दिया है, क्योंकि धारा 323 भ०द०वि० के तहत अपराध का गठन करने के लिए अभिलेखों पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। धारा 504, 506 भ०द०वि० के तहत अपराध के संबंध में पर्याप्त सामग्री थी, यही कारण था कि धारा 504, 506 भ०द०वि० की सीमा तक डिस्चार्ज के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संशोधनवादियों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ अपर शासकीय अधिवक्ता अभिलेखों का अवलोकन,



प्राथमिकी की सामग्री, विवेचनाधिकारी द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2026 को पारित आदेश, यह दर्शाता है कि विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सूचनाकर्ता का बयान है जिसमें सूचनाकर्ता के मोबाइल फोन से सूचनाकर्ता के मोबाइल पर दुर्यवहार और धमकी का उल्लेख है। उन्होंने डायल 112 पर सूचित किया और इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस स्तर पर आरोप तय करने के लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है। गंभीर संदेह पर भी आरोप तय किया जा सकता है। इस स्तर पर जांच के दौरान एकत्र किए गए गवाहों के बयानों और अन्य सामग्री की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.02.2026 के आदेश में कोई अवैधता और अनौचित्य प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यह संशोधन योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

प्रस्तुत पुनरीक्षण के अनुसार प्रवेश चरण में ही **खारिज** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)